राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 187वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ 187वीं बैठक दिनांक 10/03/2016 को प्रातः 02:00 बजे, स्थान–सभाकक्ष, सचिवालय, व्यावसायिक परिसर, छत्तीसगढ़ हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, कबीर नगर, रायपुर में श्री धीरेन्द्र शर्मा, अध्यक्ष, राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ के निम्न सदस्य उपस्थित थेः–

1. श्री एन.आर. यादव, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
2. श्री यु.सी. पाण्डेय, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
3. श्री अरविन्द कुमार गौरहा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
4. श्री विनय कुमार मिश्रा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
5. डॉ. दीपक सिन्हा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
6. श्री सुरेन्द्र कुमार जैन, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
7. डॉ. एम.डब्ल्यु.वाय. खान, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
8. श्रीमती रेजीना टोप्पो, सचिव, राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति

प्रारंभ में राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के सचिव द्वारा माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया। ऐजेण्डा के क्रम में निम्नानुसार चर्चा की गईः–

ऐजेन्डा आईटम नं.–1: 186वीं बैठक दिनांक 09/03/2016 का कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 186वीं बैठक दिनांक 09/03/2016 को आयोजित की गई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है तथा समिति के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जावेगा। इसे समिति द्वारा मान्य किया गया।

ऐजेन्डा आईटम नं.–2: गौण खनिजों के पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर बाबत् प्रस्तुतीकरण।

1. सचिव, ग्राम पंचायत निरतू (निरतू–2 रेत खदान), ग्राम–निरतू, तहसील–तखतपुर, जिला–बिलासपुर (101)

- **ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 32239 /2015। यह आवेदन उप संचालक, (खनि.प्रशा.) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 1900/ख.लि./न.क्र./2015 बिलासपुर दिनांक 21/10/2015 के द्वारा अग्रेषित किया गया है एवं ऑनलाईन प्राप्त हुआ है।

- **प्रस्ताव का विवरण** – यह पूर्व से संचालित रेत खदान (गौण खनिज) है। खदान खसरा नं. पार्ट ऑफ–1549, ग्राम–निरतू, ग्राम पंचायत निरतू (निरतू–2 रेत खदान), तहसील–तखतपुर, जिला–बिलासपुर, कुल लीज क्षेत्र 6.259 हेक्टेयर में है। उत्खनन अरपा नदी से किया जाना है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता– 1,50,000 घनमीटर /वर्ष है।

- **प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैं:–

1. ग्राम पंचायत निरतू का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित / सीमांकित कर घोषित है।
3. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त जानकारी अनुसार आवेदित रेत खदान से 1000 मीटर के भीतर 03 खदानें निरतु–1 रकबा–0.809 हेक्टेयर, सेन्दरी–2 रकबा–2.024 हेक्टेयर एवं सेन्दरी–4 रकबा–6.234 हेक्टेयर है।
4. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त जानकारी अनुसार रेत खदान की 100 मीटर की परिधि में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध या जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
5. माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक, (खनि. प्रशासन), खनिकर्म एवं भौमिकी विभाग, बिलासपुर द्वारा अनुमोदित है।

- **प्रस्ताव की सामान्य जानकारी** –

1. समीपस्थ आबादी 500 मी. एवं शैक्षणिक संस्थान 1.0 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। राज्यमार्ग लगभग 2.5 कि.मी. दूरी पर है।
2. 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।
3. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3.0 मीटर
4. आवेदन अनुसार रेत खनन की गहराई – 3.0 मीटर
5. आवेदन अनुसार खनन स्थल की चौड़ाई – 100 मीटर
6. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – 200 मीटर
7. आवेदन अनुसार उपलब्ध रेत की मात्रा – माईनिंग प्लान में उपलब्ध रेत की मात्रा नहीं बतायी गई है।

- **प्रकरण पर पूर्व बैठक में विचार** – परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 10/11/2015 के द्वारा सूचित किया गया। एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 173वीं बैठक दिनांक 17/11/2015 में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण के लिए सरपंच / सचिव एवं खनि अधिकारी / खनि निरीक्षक उपस्थित नहीं थे। समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया कि:–

1. <u>पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–</u> पूर्व में रेत खदान खसरा नं. –1549, रकबा– 6.295 हेक्टेयर, क्षमता– 1,50,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र कमांक 1041 दिनांक 06/08/2014 के द्वारा दिनांक 31/03/2015 तक की अवधि हेतु दिया गया। पर्यावरणीय स्वीकृति में वैधता वृद्धि पत्र कमांक 235 दिनांक 28/04/2015 के द्वारा दिनांक 15/10/2015 तक की अवधि हेतु किया गया।

2. अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र प्रस्तावित खदान से 05 कि.मी. की परिधि में स्थित नहीं है।
3. ग्राम पंचायत निरतू का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 3.0 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुर्नभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। अरपा नदी छोटी नदी है, अतः वर्षाकाल में सामान्यतः 1.0 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुर्नभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा तत्समय यह भी नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा, जिला–बिलासपुर के प्रमाण पत्र के अनुसार आवेदित रेत खदान से 1000 मीटर के भीतर 03 अन्य रेत खदानें निरतु–1 कुल रकबा–0.809 हेक्टेयर, सेन्दरी–2 कुल रकबा–2.024 हेक्टेयर एवं सेन्दरी–4 कुल रकबा–6.234 हेक्टेयर अवस्थित होना बताया गया है। पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के दौरान इस रेत खदान हेतु पत्र दिनांक 26/05/2014 के द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया था, जिसके अनुसार विचाराधीन रेत खदान से 1000 मीटर की परिधि (क्लस्टर) के अंतर्गत क्रमशः सेन्दरी–1, सेन्दरी–2, सेन्दरी–3, सेन्दरी–4 एवं निरतु–1 रेत खदान (कुल रकबा – 24.051 हेक्टेयर) बताया गया था। वर्तमान में कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा, जिला–बिलासपुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र में विचाराधीन रेत खदान से 1000 मीटर की परिधि के अंतर्गत केवल तीन खदानें निरतु–1, सेन्दरी–2 एवं सेन्दरी–4 बताया गया है। अतः जारी प्रमाण पत्र स्पष्ट नहीं है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत माईनिंग प्लान में माईनेबल रिजर्व, उत्खनन क्षमता आदि की जानकारी नहीं है। आवेदन पत्र में खसरा नम्बर पार्ट ऑफ 1549 का उल्लेख किया गया है, जबकि पर्यावरणीय प्रबंधन योजना, माईनिंग प्लान एवं प्री–फिजिबिलिटी रिपोर्ट आदि दस्तावेजों में खसरा नम्बर 1549 (अर्थात पूर्ण खसरा) का उल्लेख किया गया है। समिति द्वारा तत्समय निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त स्थिति को स्पष्ट करते हुये प्रमाणित जानकारी / दस्तावेज एवं अनुमोदित पुनरीक्षित माईनिंग प्लान मंगाई जावे। साथ ही संचालक, संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म, रायपुर को भी उक्त के संबंध में लेख किया जावे।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक एवं संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म, रायपुर को एस.ई.ए.सी.,छ.ग. के पत्र क्रमांक 4329 दिनांक 09/12/2015 के द्वारा सूचित किया गया।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 4329 दिनांक 09/12/2015 के परिपेक्ष्य में उप संचालक (खनि.प्रशा.) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 2990/ख.लि./न.क्र./2016 बिलासपुर दिनांक 18/02/2016 के द्वारा जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसारः–

- **1000 मीटर परिधि की जानकारी** – कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) बिलासपुर के पत्र क्रमांक 2995 दिनांक 18/02/2016 के अनुसार 1000 मीटर परिधि में 05 खदानें कुल रकबा 17.802 हेक्टेयर है। आवेदित रेत खदान (ग्राम–निरतू) का रकबा 6.259 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित रेत खदान (ग्राम–निरतू) को मिलाकर कुल रकबा 24.061 हेक्टेयर है।

- संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार माईनेबल रिजर्व 1,78,381 घनमीटर बताया गया है।

- **खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता**– 1,78,381 घन मीटर /वर्ष

- **आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई** – 3.0 मीटर
- **आवेदन अनुसार रेत खनन की प्रस्तावित गहराई** – 3.0 मीटर
- **आवेदन अनुसार खनन स्थल की चौड़ाई** – 100 मीटर
- **आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई** – 200 मीटर
- संशोधित आवेदन के अनुसार खसरा नम्बर– 1549 का भाग बताया गया है।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 4931 दिनांक 05/03/2016 के द्वारा परियोजना प्रस्तावक को समस्त सुसंगत जानकारियों / दस्तावेजों के साथ प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

- **समिति द्वारा विचार** – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 187वीं बैठक दिनांक 10/03/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण के लिए श्री अशोक कुमार माण्डले, सचिव, ग्राम पंचायत निरतू एवं श्री ओम प्रकाश खांडेकर, खनि निरीक्षक उपस्थित थे। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया किः–
  1. प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा 500 पौधों का वृक्षारोपण किया गया है, जिसमें से 300 पौधे जीवित है।
  2. कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) बिलासपुर के द्वारा आवेदित रेत खदान की सीमा से 1000 मीटर परिधि में स्थित रेत खदानों की भिन्न–भिन्न जानकारियाँ प्रस्तुत की जा रही हैं। जिससे निर्णय लेने में असुविधा होती है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अरपा नदी से रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् आवेदित सभी प्रकरणों पर समग्रता से विचार करने हेतु संचालक, संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म, रायपुर को निम्न जानकारी प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया जावे :–

1. अरपा नदी में अद्यतन स्थिति में सभी चिन्हांकित / सीमांकित / घोषित खदानों के नोटिफिकेशन की तिथि, खसरा नं एवं रकबा की जानकारी दी जावे।
2. अरपा नदी में अद्यतन स्थिति में सभी चिन्हांकित / सीमांकित/घोषित खदानों एवं पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त / आवेदित खदानों की चारों सीमाओं के को–ऑर्डिनेट्स की जानकारी दी जावे। साथ ही उपरोक्त खदानों को 01:50,000 स्केल की टोपोशीट में नक्शे में टु दी स्केल दर्शाकर खदानों के सीमाओं के को–ऑर्डिनेट्स अंकित कर प्रमाणित जानकारी दी जावे।
3. अरपा नदी में अद्यतन स्थिति में सभी चिन्हांकित / सीमांकित/घोषित खदानों एवं पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त / आवेदित खदानों की सभी सीमाओं से दूसरी खदान की सीमा की वास्तविक दूरी नक्शे में अंकित की जावे। साथ ही उपरोक्त दूरी संबंधी जानकारी का खदानवार पृथक–पृथक प्रमाण पत्र भी दिया जावे। किसी खदान की कोई सीमा के निकट यदि किसी प्रकार का प्रतिबंधित क्षेत्र यथा पुल / पुलिया, राष्ट्रीय राजमार्ग / सड़क, एनिकट, स्टाप डेम, बांध, इंटेकवेल, स्थाई संरचना, जल परिबद्ध करने वाली संरचना आदि हो तो उसे नक्शे में मार्क किया जावें एवं खदान की सीमा से दूरी बताई जावे। खदान की सीमा से 100 मीटर के भीतर उपरोक्तानुसार कोई प्रतिबंधित क्षेत्र होने अथवा नहीं होने बाबत् पृथक से खदानवार प्रमाण पत्र भी दिया जावे।
4. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो के पालनार्थ की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की जावे।

संचालक, संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म, रायपुर एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जावे।

2. सचिव, ग्राम पंचायत घुटकू (रेत खदान घुटकू–03) ग्राम–घुटकू, तहसील–तखतपुर, जिला–बिलासपुर (104)

- **ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 32245 /2015। यह आवेदन उप संचालक (खनि.प्रशा.) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 1891/ख.लि./न.क्र./2015 बिलासपुर दिनांक 21/10/2015 के द्वारा अग्रेषित किया गया है एवं ऑनलाईन प्राप्त हुआ है।
- **प्रस्ताव का विवरण** – यह पूर्व से संचालित रेत खदान (गौण खनिज) है। खदान पार्ट ऑफ खसरा नं. 21, ग्राम–घुटकू, ग्राम पंचायत घुटकू, तहसील–तखतपुर, जिला–बिलासपुर, कुल लीज क्षेत्र 8.097 हेक्टेयर में है। उत्खनन अरपा नदी से किया जाना है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता– 2,00,000 घनमीटर /वर्ष है।
- **प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैं:–

1. ग्राम पंचायत घुटकू का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित / सीमांकित कर घोषित है।
3. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त जानकारी अनुसार आवेदित रेत खदान से 1000 मीटर के भीतर 02 रेत खदानें कछार–1 कुल रकबा–2.024 हेक्टेयर एवं कछार–2 कुल रकबा–11.740 हेक्टेयर स्थित है।
4. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त जानकारी अनुसार रेत खदान की 100 मीटर की परिधि में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध या जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
5. माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक, (खनि. प्रशासन), खनिकर्म एवं भौमिकी विभाग, बिलासपुर द्वारा अनुमोदित है।

- **प्रस्ताव की सामान्य जानकारी** –

1. समीपस्थ आबादी 500 मीटर एवं शैक्षणिक संस्थान 1.0 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। राज्यमार्ग लगभग 2.5 कि.मी. दूरी पर है।
2. 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।
3. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – सतह से 3.0 मीटर से नीचे।
4. आवेदन अनुसार रेत खनन की गहराई – 3.0 मीटर
5. आवेदन अनुसार खनन स्थल की चौड़ाई – 100 मीटर
6. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – 200 मीटर
7. आवेदन अनुसार उपलब्ध रेत की मात्रा – माईनिंग प्लान में उपलब्ध रेत की मात्रा नहीं बतायी गई है।

- **प्रकरण पर पूर्व बैठक में विचार** – परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 10/11/2015 के द्वारा सूचित किया गया। एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 173वीं बैठक दिनांक 17/11/2015 में प्रकरण पर विचार

किया गया। प्रस्तुतीकरण के लिए सरपंच / सचिव एवं खनि अधिकारी / खनि निरीक्षक उपस्थित नहीं थे। समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया कि:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** पूर्व में रेत खदान खसरा नं.–21, रकबा– 8.097 हेक्टेयर, क्षमता– 2,00,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र कमांक 1025 दिनांक 06/08/2014 के द्वारा दिनांक 31/03/2015 तक की अवधि हेतु दिया गया। पर्यावरणीय स्वीकृति में वैधता वृद्धि पत्र कमांक 231 दिनांक 28/04/2015 के द्वारा दिनांक 15/10/2015 तक की अवधि हेतु किया गया।
2. अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र प्रस्तावित खदान से 05 कि.मी. की परिधि में स्थित नहीं है।
3. ग्राम पंचायत घुटकू का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 3.0 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुर्नभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। अरपा नदी छोटी नदी है, अतः वर्षाकाल में सामान्यतः 1.0 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुर्नभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा तत्समय यह भी नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत माईनिंग प्लान में माईनेबल रिजर्व, उत्खनन क्षमता आदि की जानकारी नहीं है। आवेदन पत्र में खसरा नम्बर पार्ट ऑफ 21 का उल्लेख किया गया है, जबकि माईनिंग प्लान, प्री–फिजिबिलिटी रिपोर्ट एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना में खसरा नम्बर 21 (अर्थात पूर्ण खसरा) का उल्लेख किया गया है। समिति द्वारा तत्समय निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त स्थिति को स्पष्ट करते हुये प्रमाणित जानकारी / दस्तावेज एवं अनुमोदित पुनरीक्षित माईनिंग प्लान मंगाई जावे। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक एवं संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म, रायपुर को एस.ई.ए.सी.,छ.ग. के पत्र क्रमाक 4328 दिनांक 09/12/2015 के द्वारा सूचित किया गया।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 4328 दिनांक 09/12/2015 के परिपेक्ष्य में उप संचालक (खनि.प्रशा.) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 2776/ख.लि./न.क्र./2016 बिलासपुर दिनांक 28/01/2016 के द्वारा जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार:–

- **1000 मीटर परिधि की जानकारी** – कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 2780/4 दिनांक 28/01/2016 के अनुसार 1000 मीटर परिधि में 02 खदानें कुल रकबा 13.764 हेक्टेयर है। आवेदित रेत खदान (ग्राम–घुटकु) का रकबा 8.097 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित रेत खदान (ग्राम–घुटकु) को मिलाकर कुल रकबा 21.861 हेक्टेयर है।
- संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार माईनेबल रिजर्व 2,30,765 घनमीटर बताया गया है।
- **खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता** – 1,53,844 घन मीटर /वर्ष
- **आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई** – 3.0 मीटर
- **आवेदन अनुसार रेत खनन की प्रस्तावित गहराई** – 3.0 मीटर
- **आवेदन अनुसार खनन स्थल की चौड़ाई** – 100 मीटर

- **आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई** – 200 मीटर

- संशोधित आवेदन के अनुसार खसरा नम्बर– 21 का भाग बताया गया है।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक **4935** दिनांक 05/03/2016 के द्वारा परियोजना प्रस्तावक को समस्त सुसंगत जानकारियों / दस्तावेजों के साथ प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

- **समिति द्वारा विचार** – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 187वीं बैठक दिनांक 10/03/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण के लिए श्री अशोक कुमार माण्डले, सचिव, ग्राम पंचायत घुटकु एवं श्री ओम प्रकाश खांडेकर, खनि निरीक्षक उपस्थित थे। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1000 पौधों का वृक्षारोपण किया गया है, जिसमें से 500 पौधे जीवित है।
- समिति द्वारा यह नोट किया गया कि श्री सूरज सोन्चे, पूर्व जनपद सदस्य, जनपद पंचायत तखतपुर द्वारा ग्राम पंचायत घुटकू विकासखण्ड तखतपुर में नियमों की अवहेलना कर निर्धारित गहराई से अधिक उत्खनन एवं मशीनों की सहायता से उत्खनन बाबत शिकायत की गई है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अरपा नदी से रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् आवेदित सभी प्रकरणों पर समग्रता से विचार करने हेतु संचालक, संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म, रायपुर को निम्न जानकारी प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया जावे :–

1. अरपा नदी में अद्यतन स्थिति में सभी चिन्हांकित / सीमांकित / घोषित खदानों के नोटिफिकेशन की तिथि, खसरा नं एवं रकबा की जानकारी दी जावे।
2. अरपा नदी में अद्यतन स्थिति में सभी चिन्हांकित / सीमांकित/घोषित खदानों एवं पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त / आवेदित खदानों की चारों सीमाओं के को–ऑर्डिनेट्स की जानकारी दी जावे। साथ ही उपरोक्त खदानों को 01:50,000 स्केल की टोपोशीट में नक्शे में टु दी स्केल दर्शाकर खदानों के सीमाओं के को–ऑर्डिनेट्स अंकित कर प्रमाणित जानकारी दी जावे।
3. अरपा नदी में अद्यतन स्थिति में सभी चिन्हांकित / सीमांकित/घोषित खदानों एवं पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त / आवेदित खदानों की सभी सीमाओं से दूसरी खदान की सीमा की वास्तविक दूरी नक्शे में अंकित की जावे। साथ ही उपरोक्त दूरी संबंधी जानकारी का खदानवार पृथक–पृथक प्रमाण पत्र भी दिया जावे। किसी खदान की कोई सीमा के निकट यदि किसी प्रकार का प्रतिबंधित क्षेत्र यथा पुल / पुलिया, राष्ट्रीय राजमार्ग / सड़क, एनिकट, स्टाप डेम, बांध, इंटेकवेल, स्थाई संरचना, जल परिबद्ध करने वाली संरचना आदि हो तो उसे नक्शे में मार्क किया जावें एवं खदान की सीमा से दूरी बताई जावे। खदान की सीमा से 100 मीटर के भीतर उपरोक्तानुसार कोई प्रतिबंधित क्षेत्र होने अथवा नहीं होने बाबत् पृथक से खदानवार प्रमाण पत्र भी दिया जावे।
4. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो के पालनार्थ की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की जावे।
5. कलेक्टर जिला बिलासपुर को शिकायत की प्रति भेजकर वस्तुस्थिति बाबत् जांच प्रतिवेदन मंगाया जावे।

संचालक, संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म, रायपुर, कलेक्टर, बिलासपुर एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जावे।

3. **सचिव, ग्राम पंचायत चिचगोहना, ग्राम– चिचगोहना, तहसील–मरवाही, जिला – बिलासपुर (48)**

- **ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 31633 /2015। यह आवेदन संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़, रायपुर के पत्र क्रमांक 1815/ख.लि./न.क्र./2015 बिलासपुर दिनांक 07/10/2015 के द्वारा अग्रेषित किया गया है एवं ऑनलाईन प्राप्त हुआ है।
- **प्रस्ताव का विवरण** – यह एक प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। खदान पार्ट ऑफ खसरा नं. 636, ग्राम–चिचगोहना, ग्राम पंचायत चिचगोहना, तहसील–मरवाही, जिला–बिलासपुर, कुल लीज क्षेत्र 5.125 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन सोन नदी एवं खुज्जी नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता– 1,60,401 घन मीटर/वर्ष है।
- **प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैं:–

1. ग्राम पंचायत चिचगोहना का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित / सीमांकित कर घोषित है।
3. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त जानकारी अनुसार आवेदित रेत खदान से 1000 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
4. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रस्तावित रेत खदान की 100 मीटर की परिधि में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध या जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
5. माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उपसंचालक, खनि. प्रशा., संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म, बिलासपुर छत्तीसगढ़ द्वारा अनुमोदित है।

- **प्रस्ताव की सामान्य जानकारी** –

1. समीपस्थ आबादी 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। शैक्षणिक संस्था 1.0 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राज्य मार्ग लगभग 2.5 कि.मी. दूरी पर है।
2. 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।
3. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3.0 मीटर
4. आवेदन अनुसार रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 3.0 मीटर
5. आवेदन अनुसार खनन स्थल की चौड़ाई – 40 मीटर
6. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – 40 मीटर
7. आवेदन अनुसार उपलब्ध रेत की मात्रा – 1,60,401 घनमीटर

- **प्रकरण पर पूर्व बैठक में विचार** – परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 27/10/2015 के द्वारा सूचित किया गया। एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 170वीं बैठक दिनांक 28/10/2015 में प्रकरण पर विचार किया गया था। प्रस्तुतीकरण के लिए सरपंच / सचिव उपस्थित नहीं थे। समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध पत्र प्राप्त होने के उपरांत प्रस्तुतीकरण हेतु बुलाये जाने बाबत् निर्णय लिया गया।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 3655 दिनांक 10/11/2015 के परिपेक्ष्य में उप संचालक, (खनि.प्रशा.) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) बिलासपुर, छत्तीसगढ़, के पत्र क्रमांक 2983/ख.लि./न.क्र./2016 बिलासपुर दिनांक 18/02/2016 के द्वारा जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसारः–

- **1000 मीटर परिधि की जानकारी** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 2988 दिनांक 18/02/2016 के अनुसार 1000 मीटर परिधि में अन्य स्वीकृत/संचालित खदानों की संख्या निरंक बतायी गयी है।
- संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार माईनेबल रिजर्व 1,46,062 घनमीटर बताया गया है।
- **रेत उत्खनन नदी का नाम** – सोन नदी
- **खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता** – 1,46,062 घनमीटर
- **आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई** – 3.0 मीटर
- **आवेदन अनुसार रेत खनन की प्रस्तावित गहराई** – 3.0 मीटर
- **आवेदन अनुसार खनन स्थल की चौड़ाई**– 30 मीटर
- **आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई** – 40 मीटर
- संशोधित आवेदन के अनुसार खसरा नम्बर– 636 का भाग बताया गया है।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 4933 दिनांक 05/03/2016 के द्वारा परियोजना प्रस्तावक को समस्त सुसंगत जानकारियों / दस्तावेजों के साथ प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

- **समिति द्वारा विचार** – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 187वीं बैठक दिनांक 10/03/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण के लिए श्रीमती श्यामा मरावी, सरपंच एवं श्री बीरबल प्रजापति, सचिव, ग्राम पंचायत चिचगोहना तथा श्री ओम प्रकाश खांडेकर, खनि निरीक्षक उपस्थित थे। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया किः–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–** नवीन रेत खदान है।
2. अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र प्रस्तावित खदान से 05 कि.मी. की परिधि में स्थित नहीं है।
3. ग्राम पंचायत चिचगोहना का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 3.0 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुर्नभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। सोन नदी छोटी नदी है, अतः वर्षाकाल में सामान्यतः 1.0 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुर्नभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) कराया जावे ताकि रेत के पुर्नभरण (रिप्लेनिशमेंट) बाबत् सही आंकड़े प्राप्त हो सके, जिससे रेत खदान की सही क्षमता का आंकलन किया जा सके। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से पार्ट ऑफ खसरा नं. 636, ग्राम–चिचगोहना, ग्राम पंचायत चिचगोहना, तहसील–मरवाही, जिला–बिलासपुर, कुल लीज क्षेत्र 5.125 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1.0 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुये कुल 50,000 घनमीटर

/वर्ष हेतु **संलग्न–01** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जावे।

4. सचिव, ग्राम पंचायत लोखण्डी, ग्राम– लोखण्डी, तहसील–तखतपुर, जिला – बिलासपुर (103)

- **ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 32242 /2015। यह आवेदन उप संचालक, (खनि.प्रशा.) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 1899/ख.लि./न.क्र./2015 बिलासपुर दिनांक 21/10/2015 के द्वारा अग्रेषित किया गया है एवं ऑनलाईन प्राप्त हुआ है।
- **प्रस्ताव का विवरण** – यह पूर्व से संचालित रेत खदान (गौण खनिज) है। खदान पार्ट ऑफ खसरा नं. 28 एवं 324, ग्राम–लोखण्डी, ग्राम पंचायत लोखण्डी, तहसील–तखतपुर, जिला – बिलासपुर, कुल लीज क्षेत्र 5.333 हेक्टेयर में है। उत्खनन अरपा नदी से किया जाना है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता– 1,25,000 घनमीटर /वर्ष है।
- **प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैं:–

1. ग्राम पंचायत लोखण्डी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित / सीमांकित कर घोषित है।
3. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त जानकारी अनुसार आवेदित रेत खदान से 1000 मीटर के भीतर 02 रेत खदानें कोनी–2 रकबा 5.230 हेक्टेयर एवं कोनी–3 रकबा 5.212 हेक्टेयर है।
4. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त जानकारी अनुसार रेत खदान की 100 मीटर की परिधि में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध या जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
5. माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि. प्रशासन), खनिकर्म एवं भौमिकी विभाग, बिलासपुर द्वारा अनुमोदित है।

- **प्रस्ताव की सामान्य जानकारी** –

1. समीपस्थ आबादी 500 मीटर एवं शैक्षणिक संस्था 1.0 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। राज्यमार्ग लगभग 2.5 कि.मी. दूरी पर है।
2. 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।
3. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3.0 मीटर
4. आवेदन अनुसार रेत खनन की गहराई – 3.0 मीटर
5. आवेदन अनुसार खनन स्थल की चौड़ाई – 100 मीटर
6. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – 200 मीटर
7. आवेदन अनुसार उपलब्ध रेत की मात्रा – माईनिंग प्लान में उपलब्ध रेत की मात्रा नहीं बतायी गई है।

- **प्रकरण पर पूर्व बैठक में विचार** – परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 10/11/2015 के द्वारा सूचित किया गया। एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 173वीं बैठक दिनांक 17/11/2015 में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण के लिए सरपंच / सचिव एवं खनि अधिकारी / खनि निरीक्षक उपस्थित नहीं थे। समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया कि:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** पूर्व में रेत खदान खसरा नं. –324, रकबा– 5.333 हेक्टेयर, क्षमता– 1,25,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्रमांक 1045 दिनांक 06/08/2014 के द्वारा दिनांक 31/03/2015 तक की अवधि हेतु दिया गया। पर्यावरणीय स्वीकृति में वैधता वृद्धि पत्र क्रमांक 215 दिनांक 28/04/2015 के द्वारा दिनांक 15/10/2015 तक की अवधि हेतु किया गया।
2. अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र प्रस्तावित खदान से 05 कि.मी. की परिधि में स्थित नहीं है।
3. ग्राम पंचायत लोखण्डी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 3.0 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुर्नभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। अरपा नदी छोटी नदी है, अतः वर्षाकाल में सामान्यतः 1.0 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुर्नभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा तत्समय यह भी नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा, जिला–बिलासपुर के प्रमाण पत्र के अनुसार आवेदित रेत खदान से 1000 मीटर के भीतर 02 अन्य रेत खदानें कोनी–2 कुल रकबा–5.230 हेक्टेयर एवं कोनी–3 कुल रकबा–5.212 हेक्टेयर अवस्थित होना बताया गया है। पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के दौरान इस रेत खदान हेतु पत्र दिनांक 26/05/2014 के द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया था, जिसके अनुसार विचाराधीन रेत खदान से 1000 मीटर की परिधि (क्लस्टर) के अंतर्गत क्रमशः मंगला–1, मंगला–2, कोनी–1, कोनी–2 एवं कोनी–3 रेत खदान (कुल रकबा – 24.205 हेक्टेयर) बताया गया था। वर्तमान में कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा, जिला–बिलासपुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र में विचाराधीन रेत खदान से 1000 मीटर की परिधि के अंतर्गत केवल दो खदानें कोनी–2 एवं कोनी–3 बताया गया है। अतः जारी प्रमाण पत्र स्पष्ट नहीं है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत माईनिंग प्लान में माईनेबल रिजर्व, उत्खनन क्षमता आदि की जानकारी नहीं है। आवेदन पत्र में खसरा नम्बर पार्ट ऑफ 28 एवं 324 का उल्लेख किया गया है, जबकि माईनिंग प्लान एवं प्री–फिजिबिलिटी रिपोर्ट में खसरा नम्बर 1549 का उल्लेख किया गया है एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना में खसरा नम्बर 28 एवं 324 (अर्थात पूर्ण खसरा) का उल्लेख किया गया है। समिति द्वारा तत्समय निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त स्थिति को स्पष्ट करते हुये प्रमाणित जानकारी / दस्तावेज एवं अनुमोदित पुनरीक्षित माईनिंग प्लान मंगाई जावे। साथ ही संचालक, संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म, रायपुर को भी उक्त के संबंध में लेख किया जावे। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक एवं संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म, रायपुर को एस.ई.ए.सी.,छ.ग. के पत्र क्रमाक 4325 दिनांक 09/12/2015 के द्वारा सूचित किया गया।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 4325 दिनांक 09/12/2015 के परिपेक्ष्य में उप संचालक (खनि.प्रशा.) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के पत्र

क्रमांक 3039/ख.लि./न.क्र./2016 बिलासपुर दिनांक 18/02/2016 के द्वारा जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसारः–

- **1000 मीटर परिधि की जानकारी –** कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 3044 दिनांक 18/02/2016 के अनुसार 1000 मीटर परिधि में 05 खदानें कुल रकबा 18.809 हेक्टेयर है। आवेदित रेत खदान (ग्राम–लोखण्डी) का रकबा 5.333 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित रेत खदान (ग्राम–लोखण्डी) को मिलाकर कुल रकबा 24.142 हेक्टेयर है।
- संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार माईनेबल रिजर्व 151990 घनमीटर बताया गया है।
- **खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता** – 1,51,990 घन मीटर /वर्ष
- **आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई** – 3.0 मीटर
- **आवेदन अनुसार रेत खनन की प्रस्तावित गहराई** – 3.0 मीटर
- **आवेदन अनुसार खनन स्थल की चौड़ाई** – 200 मीटर
- **आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई** – 355 मीटर
- संशोधित आवेदन के अनुसार खसरा नम्बर– 324 का भाग बताया गया है।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 4937 दिनांक 05/03/2016 के द्वारा परियोजना प्रस्तावक को समस्त सुसंगत जानकारियों / दस्तावेजों के साथ प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

- **समिति द्वारा विचार** – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 187वीं बैठक दिनांक 10/03/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण के लिए श्री विश्वनाथ पटेल, उपसरपंच एवं श्री अशोक कौशिक, सचिव, ग्राम पंचायत लोखण्डी तथा श्री ओम प्रकाश खांडेकर, खनि निरीक्षक उपस्थित थे। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गंया किः–

  1. प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा 500 पौधों का वृक्षारोपण किया गया है, जिसमें से 200 पौधे जीवित है।
  2. कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) बिलासपुर के द्वारा आवेदित रेत खदान की सीमा से 1000 मीटर परिधि में स्थित रेत खदानों की भिन्न–भिन्न जानकारियाँ प्रस्तुत की जा रही हैं। जिससे निर्णय लेने में असुविधा होती है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अरपा नदी से रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् आवेदित सभी प्रकरणों पर समग्रता से विचार करने हेतु संचालक, संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म, रायपुर को निम्न जानकारी प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया जावे :–

1. अरपा नदी में अद्यतन स्थिति में सभी चिन्हांकित / सीमांकित / घोषित खदानों के नोटिफिकेशन की तिथि, खसरा नं एवं रकबा की जानकारी दी जावे।
2. अरपा नदी में अद्यतन स्थिति में सभी चिन्हांकित / सीमांकित/घोषित खदानों एवं पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त / आवेदित खदानों की चारों सीमाओं के को–ऑर्डिनेट्स की जानकारी दी जावे। साथ ही उपरोक्त खदानों को

01:50,000 स्केल की टोपोशीट में नक्शे में टु दी स्केल दर्शाकर खदानों के सीमाओं के को–ऑर्डिनेट्स अंकित कर प्रमाणित जानकारी दी जावे।

3. अरपा नदी में अद्यतन स्थिति में सभी चिन्हांकित / सीमांकित/घोषित खदानों एवं पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त / आवेदित खदानों की सभी सीमाओं से दूसरी खदान की सीमा की वास्तविक दूरी नक्शे में अंकित की जावे। साथ ही उपरोक्त दूरी संबंधी जानकारी का खदानवार पृथक–पृथक प्रमाण पत्र भी दिया जावे। किसी खदान की कोई सीमा के निकट यदि किसी प्रकार का प्रतिबंधित क्षेत्र यथा पुल / पुलिया, राष्ट्रीय राजमार्ग / सड़क, एनिकट, स्टाप डेम, बांध, इंटेकवेल, स्थाई संरचना, जल परिबद्ध करने वाली संरचना आदि हो तो उसे नक्शे में मार्क किया जावें एवं खदान की सीमा से दूरी बताई जावे। खदान की सीमा से 100 मीटर के भीतर उपरोक्तानुसार कोई प्रतिबंधित क्षेत्र होने अथवा नहीं होने बाबत् पृथक से खदानवार प्रमाण पत्र भी दिया जावे।

4. पूर्व में प्रस्तुत आवेदन में खनन स्थल की चौड़ाई 100 मीटर एवं खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई 200 मीटर बताई गई थी, जबकि वर्तमान में अनुमोदित माईनिंग प्लान में खनन स्थल की चौड़ाई 200 मीटर एवं खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई 355 मीटर बताई गई है। इस बाबत् स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जावे।

5. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो के पालनार्थ की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की जावे।

संचालक, संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म, रायपुर एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जावे।

5. सचिव, ग्राम पंचायत मंगला (मंगला–2 रेत खदान), ग्राम–मंगला, तहसील व जिला–बिलासपुर (102)

- **ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 32240 /2015। यह आवेदन उप संचालक (खनि.प्रशा.), कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 1894/ख.लि./न.क्र./2015 बिलासपुर दिनांक 21/10/2015 के द्वारा अग्रेषित किया गया है एवं ऑनलाईन प्राप्त हुआ है।
- **प्रस्ताव का विवरण** – यह पूर्व से संचालित रेत खदान (गौण खनिज) है। खदान पार्ट ऑफ खसरा नं. 850, ग्राम–मंगला, ग्राम पंचायत मंगला (मंगला–2 रेत खदान), तहसील व जिला – बिलासपुर, कुल लीज क्षेत्र 5.192 हेक्टेयर में है। उत्खनन अरपा नदी से किया जाना है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता– 1,25,000 घनमीटर /वर्ष है।
- **प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैं:–

1. ग्राम पंचायत मंगला का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित / सीमांकित कर घोषित है।

3. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त जानकारी अनुसार आवेदित रेत खदान से 1000 मीटर के भीतर 02 खदानें कोनी–1 रकबा 1.214 हेक्टेयर एवं मंगला–1 रकबा 2.024 हेक्टेयर है।
4. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त जानकारी अनुसार रेत खदान की 100 मीटर की परिधि में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध या जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
5. माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि. प्रशासन), खनिकर्म एवं भौमिकी विभाग, बिलासपुर द्वारा अनुमोदित है।

- **प्रस्ताव की सामान्य जानकारी –**

1. समीपस्थ आबादी 500 मीटर एवं शैक्षणिक संस्थान 1.0 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। राज्यमार्ग लगभग 2.5 कि.मी. दूरी पर है।
2. 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।
3. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3.0 मीटर
4. आवेदन अनुसार रेत खनन की गहराई – 3.0 मीटर
5. आवेदन अनुसार खनन स्थल की चौड़ाई – 100 मीटर
6. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – 200 मीटर
7. आवेदन अनुसार उपलब्ध रेत की मात्रा – माईनिंग प्लान में उपलब्ध रेत की मात्रा नहीं बतायी गई है।

- **प्रकरण पर पूर्व बैठक में विचार** – परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 10/11/2015 के द्वारा सूचित किया गया। एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 173वीं बैठक दिनांक 17/11/2015 में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण के लिए सरपंच / सचिव एवं खनि अधिकारी / खनि निरीक्षक उपस्थित नहीं थे। समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया कि:–

1. <u>पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–</u> पूर्व में रेत खदान खसरा नं. –850, रकबा– 5.129 हेक्टेयर, क्षमता– 1,25,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र कमांक 1031 दिनांक 06/08/2014 के द्वारा दिनांक 31/03/2015 तक की अवधि हेतु दिया गया। पर्यावरणीय स्वीकृति में वैधता वृद्धि पत्र कमांक 219 दिनांक 28/04/2015 के द्वारा दिनांक 15/10/2015 तक की अवधि हेतु किया गया।
2. अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र प्रस्तावित खदान से 05 कि.मी. की परिधि में स्थित नहीं है।
3. ग्राम पंचायत मंगला का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 3.0 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुर्नभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। अरपा नदी छोटी नदी है, अतः वर्षाकाल में सामान्यतः 1.0 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुर्नभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा तत्समय यह भी नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा, जिला–बिलासपुर के प्रमाण पत्र के अनुसार आवेदित रेत खदान से 1000 मीटर के भीतर 02 अन्य रेत खदानें कोनी–1 कुल रकबा–1.214 हेक्टेयर

एवं मंगला–1 कुल रकबा–2.024 हेक्टेयर अवस्थित होना बताया गया है। पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के दौरान इस रेत खदान हेतु पत्र दिनांक 26/05/2014 के द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया था, जिसके अनुसार विचाराधीन रेत खदान से 1000 मीटर की परिधि (क्लस्टर) के अंतर्गत क्रमशः मंगला–1, कोनी–1, कोनी–2, कोनी–3 एवं लोखंडी रेत खदान (कुल रकबा – 24.205 हेक्टेयर) बताया गया था। वर्तमान में कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा, जिला–बिलासपुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र में विचाराधीन रेत खदान से 1000 मीटर की परिधि के अंतर्गत केवल दो खदानें कोनी–1 एवं मंगला–1 बताया गया है। अतः जारी प्रमाण पत्र स्पष्ट नहीं है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत माईनिंग प्लान में माईनेबल रिजर्व, उत्खनन क्षमता आदि की जानकारी नहीं है। आवेदन पत्र में खसरा नम्बर पार्ट ऑफ 850 का उल्लेख किया गया है, जबकि पर्यावरणीय प्रबंधन योजना, माईनिंग प्लान एवं प्री–फिजिबिलिटी रिपोर्ट आदि दस्तावेजों में खसरा नम्बर 850 (अर्थात पूर्ण खसरा) का उल्लेख किया गया है। समिति द्वारा तत्समय निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त स्थिति को स्पष्ट करते हुये प्रमाणित जानकारी / दस्तावेज एवं अनुमोदित पुनरीक्षित माईनिंग प्लान मंगाई जावे। साथ ही संचालक, संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म, रायपुर को भी उक्त के संबंध में लेख किया जावे। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक एवं संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म, रायपुर को एस.ई.ए.सी.,छ.ग. के पत्र क्रमांक 4318 दिनांक 09/12/2015 के द्वारा सूचित किया गया।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 4318 दिनांक 09/12/2015 के परिपेक्ष्य में उप संचालक (खनि.प्रशा.) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 3053/ख.लि./न.क्र./2016 बिलासपुर दिनांक 18/02/2016 के द्वारा जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसारः–

- **1000 मीटर परिधि की जानकारी** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 3058 दिनांक 18/02/2016 के अनुसार 1000 मीटर परिधि में 05 खदानें कुल रकबा 19.013 हेक्टेयर है। आवेदित रेत खदान (ग्राम–मंगला) का रकबा 5.192 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित रेत खदान (ग्राम–मंगला) को मिलाकर कुल रकबा 24.205 हेक्टेयर है।
- संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार माईनेबल रिजर्व 147972 घनमीटर बताया गया है।
- **खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता** – 1,47,972 घन मीटर /वर्ष
- **आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई** -- 4.0 मीटर
- **आवेदन अनुसार रेत खनन की प्रस्तावित गहराई** – 3.0 मीटर
- **आवेदन अनुसार खनन स्थल की चौड़ाई** – 160 मीटर
- **आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई** – 430 मीटर
- संशोधित आवेदन के अनुसार खसरा नम्बर– 850 का भाग बताया गया है।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 4929 दिनांक 05/03/2016 के द्वारा परियोजना प्रस्तावक को समस्त सुसंगत जानकारियों / दस्तावेजों के साथ प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

- **समिति द्वारा विचार** – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 187वीं बैठक दिनांक 10/03/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण के लिए श्री शिव कुमार निर्मलकर, सचिव, ग्राम पंचायत मंगला एवं श्री ओम प्रकाश खांडेकर, खनि

निरीक्षक उपस्थित थे। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि:–

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1500 पौधों का वृक्षारोपण किया गया है, जिसमें से 700 पौधे जीवित है।
2. कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) बिलासपुर के द्वारा आवेदित रेत खदान की सीमा से 1000 मीटर परिधि में स्थित रेत खदानों की भिन्न–भिन्न जानकारियाँ प्रस्तुत की जा रही हैं। जिससे निर्णय लेने में असुविधा होती है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अरपा नदी से रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् आवेदित सभी प्रकरणों पर समग्रता से विचार करने हेतु संचालक, संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म, रायपुर को निम्न जानकारी प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया जावे :–

1. अरपा नदी में अद्यतन स्थिति में सभी चिन्हांकित / सीमांकित / घोषित खदानों के नोटिफिकेशन की तिथि, खसरा नं एवं रकबा की जानकारी दी जावे।
2. अरपा नदी में अद्यतन स्थिति में सभी चिन्हांकित / सीमांकित/घोषित खदानों एवं पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त / आवेदित खदानों की चारों सीमाओं के को–ऑर्डिनेट्स की जानकारी दी जावे। साथ ही उपरोक्त खदानों को 01:50,000 स्केल की टोपोशीट में नक्शे में टु दी स्केल दर्शाकर खदानों के सीमाओं के को–ऑर्डिनेट्स अंकित कर प्रमाणित जानकारी दी जावे।
3. अरपा नदी में अद्यतन स्थिति में सभी चिन्हांकित / सीमांकित/घोषित खदानों एवं पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त / आवेदित खदानों की सभी सीमाओं से दूसरी खदान की सीमा की वास्तविक दूरी नक्शे में अंकित की जावे। साथ ही उपरोक्त दूरी संबंधी जानकारी का खदानवार पृथक–पृथक प्रमाण पत्र भी दिया जावे। किसी खदान की कोई सीमा के निकट यदि किसी प्रकार का प्रतिबंधित क्षेत्र यथा पुल / पुलिया, राष्ट्रीय राजमार्ग / सड़क, एनिकट, स्टाप डेम, बांध, इंटेकवेल, स्थाई संरचना, जल परिबद्ध करने वाली संरचना आदि हो तो उसे नक्शे में मार्क किया जावें एवं खदान की सीमा से दूरी बताई जावे। खदान की सीमा से 100 मीटर के भीतर उपरोक्तानुसार कोई प्रतिबंधित क्षेत्र होने अथवा नहीं होने बाबत् पृथक से खदानवार प्रमाण पत्र भी दिया जावे।
4. पूर्व में प्रस्तुत आवेदन में खनन स्थल में उपलब्ध रेत की गहराई 3.0 मीटर, खनन स्थल की चौड़ाई 100 मीटर एवं खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई 200 मीटर बताई गई थी, जबकि वर्तमान में अनुमोदित माईनिंग प्लान में उपलब्ध रेत की गहराई 4.0 मीटर, खनन स्थल की चौड़ाई 160 मीटर एवं खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई 430 मीटर बताई गई है। इस बाबत् स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जावे।
5. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो के पालनार्थ की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की जावे।

संचालक, संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म, रायपुर एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जावे।

6. सरपंच, ग्राम पंचायत कांतिपुर, ग्राम–कांतिपुर, तहसील–ओडगी, जिला–सूरजपुर (290)

- **ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 38736/2016। यह आवेदन दिनांक 08/01/2016 को ऑनलाईन प्राप्त हुआ है।

- **प्रस्ताव का विवरण** – यह एक प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। खदान खसरा नं. 167/394, ग्राम–कांतिपुर, ग्राम पंचायत कांतिपुर, तहसील–ओडगी, जिला–सूरजपुर, कुल लीज क्षेत्र 5.0 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन रेहर नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–50,000 घनमीटर / वर्ष है।
- **प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैं:–

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
2. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित / सीमांकित कर घोषित है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–सूरजपुर के द्वारा जारी प्रमाण पत्र क्रमांक 2052/खनिज/2015 सूरजपुर दिनांक 19/11/2015 से प्राप्त जानकारी अनुसार आवेदित रेत खदान से 1000 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
4. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रस्तावित रेत खदान की 100 मीटर की परिधि में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध या जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
5. माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि निरीक्षक, जिला सूरजपुर द्वारा अनुमोदित है।

- **प्रस्ताव की सामान्य जानकारी** –

1. समीपस्थ आबादी ग्राम–कांतिपुर 1.0 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राज्य मार्ग 90 कि.मी. की दूरी पर है।
2. 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।
3. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 2.0 मीटर
4. आवेदन अनुसार रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 1.0 मीटर
5. आवेदन अनुसार खनन स्थल की चौड़ाई – औसत 150 मीटर
6. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – 800 मीटर
7. आवेदन अनुसार उपलब्ध रेत की मात्रा – 50,000 घनमीटर
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदन एवं अन्य प्रमाण पत्र की मूलप्रति प्रेषित नहीं किया गया है।

- **प्रकरण पर पूर्व बैठक में विचार** – कोई नहीं। परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 05/03/2016 के द्वारा सूचित किया गया।
- **समिति द्वारा विचार** – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 187वीं बैठक दिनांक 10/03/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण के लिए श्री अवध पाठक, उपसंरपच, ग्राम पंचायत कांतिपुर एवं श्री सुभाष चन्द्र साहू, खनि निरीक्षक उपस्थित थे। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि:–

1. <u>**पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**</u> नवीन रेत खदान है।

2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–सूरजपुर के द्वारा जारी प्रमाण पत्र क्रमांक 2052/खनिज/2015 सूरजपुर दिनांक 19/11/2015 से प्राप्त जानकारी अनुसार आवेदित रेत खदान से 1000 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है। खदान की सीमा से 1000 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित रेत खदानों का कुल क्षेत्रफल 25 हेक्टेयर से कम होने के कारण क्लस्टर निर्मित नहीं हो रहा है। फलस्वरूप यह रेत खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।
3. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। आवेदन / दस्तावेजों की मूलप्रति प्रस्तुत नहीं की गई है। छायाप्रति प्रस्तुत की गई है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अनुमोदित माईनिंग प्लान में उपलब्ध रेत की गहराई 2.0 मीटर बताई गई है। उल्लेखनीय है कि नदी में कम से कम 2.0 मीटर मोटी रेत छोड़ी जानी आवश्यक है। अतः ऐसी स्थिति में पर्यावरणीय स्वीकृति की अनुशंसा नहीं की जा सकती है। अतः प्रकरण निरस्त किया जावे।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जावे।

7. सरपंच, ग्राम पंचायत रवेली, ग्राम–रवेली, तहसील–बेरला, जिला–बेमेतरा (291)

- **ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 38755/2016, यह आवेदन दिनांक 08/01/2016 को ऑनलाईन प्राप्त हुआ है। संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 212/ख.नि 02/रेत (ईसी)/न.क्र. 38/1996 नया रायपुर दिनांक 11/01/2016 के द्वारा अग्रेषित किया गया है।
- **प्रस्ताव का विवरण** – यह एक प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। खदान खसरा नं. 196, ग्राम–रवेली, ग्राम पंचायत रवेली, तहसील–बेरला, जिला–बेमेतरा, कुल लीज क्षेत्र 5.20 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन शिवनाथ नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–78,000 घनमीटर / वर्ष है।
- **प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैं:–

1. ग्राम पंचायत रवेली का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित / सीमांकित कर घोषित है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–बेमेतरा के द्वारा जारी प्रमाण पत्र क्रमांक 1711–एफ/खनिज/रेत अधिसूचना/2015 बेमेतरा दिनांक 27/11/2015 के अनुसार आवेदित रेत खदान से 1000 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
4. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रस्तावित रेत खदान की 100 मीटर की परिधि में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध या जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
5. माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो श्रीमती प्राची अवस्थी, उपसंचालक, खनि. प्रशा, संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म, नया रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा अनुमोदित है।

- **प्रस्ताव की सामान्य जानकारी** –

1. समीपस्थ आबादी ग्राम–रवेली 2.0 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। सरकारी स्कूल 2.0 किलोमीटर एवं सरकारी अस्पताल 3.0 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3.0 कि.मी. की दूरी पर है।
2. 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।
3. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 4.0 मीटर
4. आवेदन अनुसार रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 1.5 मीटर
5. आवेदन अनुसार खनन स्थल की चौड़ाई – औसत 69 मीटर
6. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – 300 मीटर
7. आवेदन अनुसार उपलब्ध रेत की मात्रा – 280000 घनमीटर

- **प्रकरण पर पूर्व बैठक में विचार** – कोई नहीं। परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 05/03/2016 के द्वारा सूचित किया गया।
- **समिति द्वारा विचार** – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 187वीं बैठक दिनांक 10/03/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण के लिए श्री कैलाश शर्मा, संरपच, ग्राम पंचायत रवेली एवं कुमारी नेहा टंडन, खनि निरीक्षक उपस्थित थे। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** नवीन रेत खदान है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–बेमेतरा के द्वारा जारी प्रमाण पत्र कमांक 1711–एफ/खनिज/रेत अधिसूचना/2015 बेमेतरा दिनांक 27/11/2015 के अनुसार आवेदित रेत खदान से 1000 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है। खदान की सीमा से 1000 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित रेत खदानों का कुल क्षेत्रफल 25 हेक्टेयर से कम होने के कारण क्लस्टर निर्मित नहीं हो रहा है। फलस्वरूप यह रेत खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।
3. अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र प्रस्तावित खदान से 05 कि.मी. की परिधि में स्थित नहीं है।
4. ग्राम पंचायत रवेली का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1.5 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुर्नभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। शिवनाथ नदी बड़ी नदी है, अतः वर्षाकाल में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुर्नभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) कराया जावे ताकि रेत के पुर्नभरण (रिप्लेनिशमेंट) बाबत् सही आंकड़े प्राप्त हो सके, जिससे रेत खदान की सही क्षमता का आंकलन किया जा सके। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से खसरा नं. 196, ग्राम–रवेली, ग्राम पंचायत रवेली, तहसील–बेरला, जिला– बेमेतरा, कुल लीज क्षेत्र 5.20 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1.0 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुये कुल 52,000 घनमीटर /वर्ष हेतु **संलग्न–02**

में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जावे।

8. सरपंच, ग्राम पंचायत बनियागांव, ग्राम–बेलगांव, तहसील–बकावण्ड, जिला–बस्तर (292)

- **ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 38758 / 2016, यह आवेदन दिनांक 08 / 01 / 2016 को ऑनलाईन प्राप्त हुआ है। उप संचालक (खनि. प्रशा.), कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला बस्तर के पत्र क्रमांक 82 / खनिज / ख.लि 02 / रेत / 2016 जगदलपुर दिनांक 08 / 01 / 2016 के द्वारा अग्रेषित किया गया है।
- **प्रस्ताव का विवरण** – यह पूर्व से संचालित रेत खदान (गौण खनिज) है। खदान पार्ट ऑफ खसरा नं. 257, ग्राम–बेलगांव, ग्राम पंचायत बनियागांव, तहसील–बकावण्ड, जिला–बस्तर, कुल लीज क्षेत्र 9.0 हेक्टेयर में है। उत्खनन इन्द्रावती नदी से किया जाना है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–1,80,000 घनमीटर / वर्ष है।
- **प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैं:–

1. ग्राम पंचायत बनियागांव का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित / सीमांकित कर घोषित है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला बस्तर के पत्र क्रमांक 39 दिनांक 07 / 01 / 2016 के अनुसार आवेदित रेत खदान से 1000 मीटर के भीतर 02 खदानें टलनार रकबा 5.0 हेक्टेयर एवं बनियागांव (बी) रकबा 5.0 हेक्टेयर है। आवेदित रेत खदान (ग्राम–बेलगांव) का रकबा 9.0 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित रेत खदान (ग्राम–बेलगांव) को मिलाकर कुल रकबा 19.0 हेक्टेयर है।
4. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त जानकारी अनुसार रेत खदान की 100 मीटर की परिधि में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध या जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
5. माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो श्री प्रमोद कुमार, खनिज अधिकारी जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा द्वारा अनुमोदित है।

- **प्रस्ताव की सामान्य जानकारी –**

1. समीपस्थ आबादी ग्राम–बेलगांव 1.0 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। शैक्षणिक संस्थान ग्राम–बेलगांव 1.0 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 12 कि.मी. की दूरी पर है।
2. जिला नबरंगपुर (उड़ीसा) 10 कि.मी. की परिधि में आता है।
3. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 5.0 मीटर
4. आवेदन अनुसार रेत खनन की गहराई – 2.0 मीटर
5. आवेदन अनुसार खनन स्थल की चौड़ाई – 50 मीटर
6. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – 117 मीटर
7. आवेदन अनुसार उपलब्ध रेत की मात्रा – 3,06,000 टन

- **प्रकरण पर पूर्व बैठक में विचार** – कोई नहीं। परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 05/03/2016 के द्वारा सूचित किया गया।
- **समिति द्वारा विचार** – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 187वीं बैठक दिनांक 10/03/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण के लिए श्रीमती संतोषी मौर्य, संरपच एवं श्री धनेश्वर बघेल, सचिव, ग्राम पंचायत बनियागांव तथा श्री हेमंत चेरपा, खनि निरीक्षक उपस्थित थे। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** पूर्व में रेत खदान खसरा नं. –257, रकबा–9.0 हेक्टेयर, क्षमता–50,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र कमांक 1890 दिनांक 12/06/2015 के द्वारा दिनांक 15/10/2015 तक की अवधि हेतु दिया गया।
2. **पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की जानकारी :–** पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के पालनार्थ की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुतीकरण के दौरान बताई गई। परियोजना प्रस्तावक द्वारा आश्वासन दिया गया कि लिखित में जानकारी शीघ्र प्रस्तुत कर दी जावेगी।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला बस्तर के पत्र कमांक 39 दिनांक 07/01/2016 के अनुसार आवेदित रेत खदान से 1000 मीटर के भीतर 02 खदानें टलनार रकबा 5.0 हेक्टेयर एवं बनियागांव (बी) रकबा 5.0 हेक्टेयर है। आवेदित रेत खदान (ग्राम–बेलगांव) का रकबा 9.0 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित रेत खदान (ग्राम–बेलगांव) को मिलाकर कुल रकबा 19.0 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 1000 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित रेत खदानों का कुल क्षेत्रफल 25 हेक्टेयर से कम होने के कारण क्लस्टर निर्मित नहीं हो रहा है। फलस्वरूप यह रेत खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।
4. जिला नबरंगपुर (उड़ीसा) प्रस्तावित खदान से 05 कि.मी. की परिधि में स्थित है।
5. ग्राम पंचायत बनियागांव का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2.0 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुर्नभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। इन्द्रावती नदी छोटी नदी है, अतः वर्षाकाल में सामान्यतः 1.0 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुर्नभराव होने की संभावना है।
7. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व वर्ष में 489 घनमीटर रेत उत्खनन किया गया है एवं वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) कराया जावे ताकि रेत के पुर्नभरण (रिप्लेनिशमेंट) बाबत् सही आंकड़े प्राप्त हो सके, जिससे रेत खदान की सही क्षमता का आंकलन किया जा सके। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से पार्ट ऑफ खसरा नं. 257, ग्राम–बेलगांव, ग्राम पंचायत बनियागांव, तहसील–बकावण्ड, जिला–बस्तर, कुल लीज क्षेत्र 9.0 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1.0 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुये कुल 90,000 घनमीटर /वर्ष हेतु **संलग्न–03** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जावे।

9. सरपंच, ग्राम पंचायत लाई, ग्राम– लाई, तहसील–मनेन्द्रगढ़, जिला–कोरिया (293)

- **ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 38764/2016, यह आवेदन दिनांक 08/01/2016 को ऑनलाईन प्राप्त हुआ है। खनि अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया (छ.ग.) के पत्र क्रमांक 1871/खनिज/रेत/2016 कोरिया, बैकुण्ठपुर दिनांक 07/01/2016 के द्वारा अग्रेषित किया गया है।
- **प्रस्ताव का विवरण** – यह पूर्व से संचालित रेत खदान (गौण खनिज) है। खदान खसरा नं. 01, ग्राम–लाई, ग्राम पंचायत लाई, तहसील–मनेन्द्रगढ़, जिला–कोरिया, कुल लीज क्षेत्र 6.40 हेक्टेयर में है। उत्खनन हसदेव नदी से किया जाना है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–64,000 घनमीटर / वर्ष है।
- **प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैं:–

1. ग्राम पंचायत लाई का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित / सीमांकित कर घोषित है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–कोरिया (छ.ग.) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र कमांक 1838/खनिज/रेत/2016 कोरिया, बैकुण्ठपुर दिनांक 04/01/2016 से प्राप्त जानकारी अनुसार आवेदित रेत खदान से 1000 मीटर के भीतर अन्य स्वीकृति /संचालित खदानों की संख्या निरंक है।
4. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त जानकारी अनुसार रेत खदान की 100 मीटर की परिधि में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध या जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
5. माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–कोरिया (छ.ग.) द्वारा अनुमोदित है।

- **प्रस्ताव की सामान्य जानकारी** –

1. समीपस्थ आबादी ग्राम–लाई 0.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राज मार्ग 0.2 कि.मी. की दूरी पर है।
2. 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।
3. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 1.5 मीटर
4. आवेदन अनुसार रेत खनन की गहराई –1.0 मीटर
5. आवेदन अनुसार खनन स्थल की चौड़ाई – 105 मीटर
6. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – 120 मीटर
7. आवेदन अनुसार उपलब्ध रेत की मात्रा – 64,000 घनमीटर

- **प्रकरण पर पूर्व बैठक में विचार** – कोई नहीं। परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 05/03/2016 के द्वारा सूचित किया गया।
- **समिति द्वारा विचार** – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 187वीं बैठक दिनांक 10/03/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण के लिए श्री सोन साय, संरपच एवं श्री संतलाल साहू, सचिव, ग्राम पंचायत लाई तथा श्री आशीष

गढ़पाले, खनि निरीक्षक उपस्थित थे। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**:– पूर्व में रेत खदान खसरा नं.– 01, रकबा– 6.40 हेक्टेयर, क्षमता– 32,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र कमांक 479 दिनांक 26/05/2014 के द्वारा दिनांक 31/03/2015 तक की अवधि हेतु दिया गया। पर्यावरणीय स्वीकृति में वैधता वृद्धि पत्र कमांक 327 दिनांक 28/04/2015 के द्वारा दिनांक 15/10/2015 तक की अवधि हेतु किया गया।
2. **पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की जानकारी :–** नहीं दी गई है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–कोरिया (छ.ग.) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र कमांक 1838/खनिज/रेत/2016 कोरिया, बैकुण्ठपुर दिनांक 04/01/2016 से प्राप्त जानकारी अनुसार आवेदित रेत खदान से 1000 मीटर के भीतर अन्य स्वीकृति /संचालित खदानों की संख्या निरंक है। खदान की सीमा से 1000 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित रेत खदानों का कुल क्षेत्रफल 25 हेक्टेयर से कम होने के कारण क्लस्टर निर्मित नहीं हो रहा है। फलस्वरूप यह रेत खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।
4. अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र प्रस्तावित खदान से 05 कि.मी. की परिधि में स्थित नहीं है।
5. ग्राम पंचायत लाई का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1.0 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुर्नभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। हसदेव नदी बड़ी नदी है, अतः वर्षाकाल में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुर्नभराव होने की संभावना है।
7. प्रस्तुतीकरण के दौरान खनि निरीक्षक द्वारा बताया गया कि माईनिंग प्लान में कुछ संशोधन किया जाना है। संशोधित माईनिंग प्लान जमा किया जाना है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु अन्य तिथि देने का अनुरोध किया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुए संशोधित माईनिंग प्लान एवं पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालनार्थ की गई कार्यवाही की जानकारी प्राप्त होने पर प्रस्तुतीकरण हेतु अन्य तिथि देने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जावे।

10. सरपंच, ग्राम पंचायत सेमरा, ग्राम–सेमरा, तहसील–ओडगी, जिला–सूरजपुर (294)

- **ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 38790/2016। यह आवेदन दिनांक 08/01/2016 को ऑनलाईन प्राप्त हुआ है।
- **प्रस्ताव का विवरण** – यह एक प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। खदान खसरा नं. 207, ग्राम–सेमरा, ग्राम पंचायत सेमरा, तहसील–ओडगी, जिला–सूरजपुर कुल लीज क्षेत्र 5.0 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन रेहर नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–50,000 घनमीटर / वर्ष है।

- **प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैं:–

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
2. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित / सीमांकित कर घोषित है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–सूरजपुर के द्वारा जारी प्रमाण पत्र कमांक 2043/खनिज/2015 सूरजपुर दिनांक 19/11/2015 से प्राप्त जानकारी अनुसार आवेदित रेत खदान से 1000 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
4. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रस्तावित रेत खदान की 100 मीटर की परिधि में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध या जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
5. माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि निरीक्षक, जिला सूरजपुर द्वारा अनुमोदित है।

- **प्रस्ताव की सामान्य जानकारी** –

1. समीपस्थ आबादी ग्राम–सेमरा 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। राज्य मार्ग 85 कि. मी. की दूरी पर है।
2. 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।
3. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 2.0 मीटर
4. आवेदन अनुसार रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 1.0 मीटर
5. आवेदन अनुसार खनन स्थल की चौड़ाई – औसत 140 मीटर
6. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – 400 मीटर
7. आवेदन अनुसार उपलब्ध रेत की मात्रा – 50,000 घनमीटर
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदन एवं अन्य प्रमाण पत्र की मूलप्रति प्रेषित नहीं की गई है।

- **प्रकरण पर पूर्व बैठक में विचार** – कोई नहीं। परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 05/03/2016 के द्वारा सूचित किया गया।

- **समिति द्वारा विचार** – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 187वीं बैठक दिनांक 10/03/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण के लिए श्री अवध पाठक, उपसंरपच, ग्राम पंचायत सेमरा एवं श्री सुभाष चन्द्र साहू, खनि निरीक्षक उपस्थित थे। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** नवीन रेत खदान है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–सूरजपुर के द्वारा जारी प्रमाण पत्र कमांक 2043/खनिज/2015 सूरजपुर दिनांक 19/11/2015 से प्राप्त जानकारी अनुसार आवेदित रेत खदान से 1000 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है। खदान की सीमा से 1000 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित रेत खदानों का कुल क्षेत्रफल 25 हेक्टेयर से कम होने के कारण क्लस्टर निर्मित नहीं हो रहा है। फलस्वरूप यह रेत खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

3. अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र प्रस्तावित खदान से 05 कि.मी. की परिधि में स्थित नहीं है।
4. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1.0 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुर्नभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। रेहर नदी छोटी नदी है, अतः वर्षाकाल में सामान्यतः 1.0 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुर्नभराव होने की संभावना है।
6. प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं असल दस्तावेज संलग्न नहीं है। छायाप्रति लगायी गई है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अनुमोदित माईनिंग प्लान में उपलब्ध रेत की गहराई 2.0 मीटर बताई गई है। उल्लेखनीय है कि नदी में कम से कम 2.0 मीटर मोटी रेत छोड़ी जानी आवश्यक है। अतः ऐसी स्थिति में पर्यावरणीय स्वीकृति की अनुशंसा नहीं की जा सकती है। अतः प्रकरण निरस्त किया जावे।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जावे।

11. मेसर्स नरदहा लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.–श्री प्रकाश बजाज), ग्राम–नरदहा, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर (190)

- **ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 33732 /2015, यह आवेदन दिनांक 03/12/2015 के द्वारा ऑनलाईन एवं परियोजना प्रस्तावक श्री प्रकाश बजाज के द्वारा दिनांक 16/12/2015 को प्राप्त हुआ है।
- **प्रस्ताव का विवरण** – यह पूर्व से संचालित लाईम स्टोन माईन (गौण खनिज) है। खदान खसरा नं. 1972, 1980 एवं 1982 (पार्ट), ग्राम–नरदहा, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर, कुल लीज क्षेत्र 2.744 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 24,000 टन/वर्ष है।
- **प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा लाईम स्टोन खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैं:–

1. ग्राम पंचायत नरदहा का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो श्री महिपाल सिंह कंवर, डिप्टी डायरेक्टर, (खनिज प्रशासन) जिला–रायपुर द्वारा अनुमोदित है।
3. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त जानकारी अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर परिधि में 05 खदानें कुल रकबा 9.66 हेक्टेयर है। आवेदित लाईम स्टोन माईन (ग्राम–नरदहा) का रकबा 2.744 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित लाईम स्टोन माईन (ग्राम–नरदहा) को मिलाकर कुल रकबा 12.404 हेक्टेयर है।

- **प्रस्ताव की सामान्य जानकारी** –

1. समीपस्थ आबादी ग्राम–नरदहा 2.0 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4.5 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 10.0 कि.मी. की दूरी पर है।

2. 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।
3. लीज श्री प्रकाश बजाज के नाम पर है। जिसकी अवधि 02/05/2013 से 01/05/2023 अर्थात् विगत 10 वर्षों तक की है।
4. माईनेबल रिजर्व 3,42,112 टन है। अनुमोदित माईनिंग प्लान में 7.5 मीटर क्षेत्र चारों तरफ नहीं छोड़ते हुए 5.0 मीटर छोड़ा गया है। ऊपरी मिट्टी की मात्रा 5930 घनमीटर है। आवेदन अनुसार उत्खनन की अधिकतम गहराई 10 मीटर होगी। भू–भाग के 2800 वर्ग मीटर में उत्खनन होना बताया गया है। जल की खपत 10 किलोलीटर प्रति दिन है। खदान में लाईम स्टोन के उत्खनन हेतु ओपन कॉस्ट विधि का उपयोग एवं कन्ट्रोल्ड ब्लास्टिंग किया जाता है। बेंच की उंचाई 4.5 मीटर है। प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव एवं वृक्षारोपण किया जायेगा।

- **प्रकरण पर पूर्व बैठक में विचार** – परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 02/01/2016 के द्वारा सूचित किया गया। एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 178वीं बैठक दिनांक 06/01/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण के लिए श्री प्रकाश बजाज, प्रोपराईटर तथा कुमारी पुष्पा साहू, आर.क्यू.पी. (प्रतिनिधि) एवं श्री अरूणेन्द्र प्रताप सिंह, जियोलॉजिस्ट उपस्थित थे। समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया कि:–

1. <u>पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:</u>– पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा नं.–1972, 1980 एवं 1982, रकबा– 2.744 हेक्टेयर, चूना पत्थर खदान क्षमता– 12,000 मीट्रिक टन/वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र कमांक 1605 दिनांक 13/03/2014 के द्वारा दिनांक 31/03/2015 तक की अवधि हेतु दिया गया। पर्यावरणीय स्वीकृति में वैधता वृद्धि पत्र कमांक 379 दिनांक 28/04/2015 के द्वारा दिनांक 15/10/2015 तक की अवधि हेतु किया गया।
2. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त जानकारी अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर परिधि में 05 खदानें कुल रकबा 9.66 हेक्टेयर है। आवेदित लाईम स्टोन माईन (ग्राम–नरदहा) का रकबा 2.744 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित लाईम स्टोन माईन (ग्राम–नरदहा) को मिलाकर कुल रकबा 12.404 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 25 हेक्टेयर से कम है।
3. अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र प्रस्तावित खदान से 05 कि.मी. की परिधि में स्थित नहीं है।
4. ग्राम पंचायत नरदहा का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु तैयारी नहीं होने एवं माईनिंग प्लान में सुधार करने हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण हेतु अन्य तिथी निर्धारित करने का अनुरोध किया गया। समिति द्वारा पत्र का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुए माईनिंग प्लान में सुधार कर प्रस्तुत करने के पश्चात् प्रस्तुतीकरण हेतु अन्य तिथि देने का निर्णय लिया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 03/03/2016 को संशोधित माईनिंग प्लान जमा किया गया हैं।

- **संशोधित माईनिंग प्लान के अनुसार:**– जियोलॉजिकल रिजर्व 547400 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 261926 टन है। खदान की वर्षवार योजना निम्नानुसार है :–

आठ वर्षों की उत्खनन योजना

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	बेंच की उंचाई (मीटर)	स्पेसिफिक ग्रेवीटी (टन/घनमीटर)	उत्खनन योजना (टन)
प्रथम वर्ष	1100	1.5	2.5	20982
द्वितीय वर्ष	1150	1.5	2.5	21149
तृतीय वर्ष	1150	1.5	2.5	21149
चतुर्थ वर्ष	1380	1.5	2.5	27657
पंचम वर्ष	1380	1.5	2.5	27657
षष्ठम वर्ष	1500	1.5	2.5	29736
सप्तम वर्ष	1500	1.5	2.5	29736
अष्ठम वर्ष	2000	1.5	2.5	40799
कुल	**13160**	–	–	**218865**

परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 05/03/2016 के द्वारा सूचित किया गया।

- **समिति द्वारा विचार** – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 187वीं बैठक दिनांक 10/03/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण के लिए श्री प्रकाश बजाज, ओनर उपस्थित थे। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि:–
- एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ द्वारा प्राप्त जिन शिकायतों को जांच हेतु कलेक्टर रायपुर को पत्र दिनांक 12/02/2016 द्वारा लिखा गया है, उसमें इस खदान नाम भी सम्मलित है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कलेक्टर रायपुर को पुनः स्मरण पत्र भेजा जावे और अनुरोध किया जावे कि जांच प्रतिवेदन के अभाव में प्रकरण लंबित हो रहे हैं। अतः जांच प्रतिवेदन शीघ्र–अतिशीघ्र भेजा जावे। इसी प्रकार उद्योग से पूर्व प्रदत्त पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों का पालन प्रतिवेदन लिया जाना होगा।

कलेक्टर, रायपुर एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जावे।

12. नगर पालिका परिषद्, बीजापुर (सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट), ग्राम–धनोरा, तहसील व जिला–बीजापुर (1822)

नगर पालिका परिषद द्वारा दिनांक 30/01/2015 को खसरा नं. 295 एवं 296, ग्राम–धनोरा, तहसील व जिला–बीजापुर (छ.ग.) नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य (प्रोसेसिंग एवं रिसायकलिंग) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् प्रारूप–1 एवं प्रोजेक्ट रिपोर्ट सहित आवेदन प्रस्तुत किया गया। स्थल का कुल रकबा 3.242 हेक्टेयर है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 158वीं बैठक दिनांक 10/07/2015 में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया कि फार्म–1 में परियोजना / प्रस्ताव के संबंध में पूर्ण जानकारी नहीं है। साथ ही सभी कॉलम में जानकारी नहीं भरी गई हैं। आवेदक का नाम एवं पदनाम स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। समिति द्वारा तत्समय निर्णय लिया गया कि संशोधित फार्म–1 एवं स्पष्ट प्रस्ताव के साथ परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया जावे। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को, एस.ई.ए.सी.,

छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 2453 दिनांक 13/08/2015 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 163वीं बैठक दिनांक 26/08/2015 में प्रकरण पर विचार किया गया। परियोजना प्रस्तावक समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित नहीं हुए। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। समिति द्वारा तत्समय निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण के संबंध में अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जावे।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 05/03/2016 को प्रकरण पर पुनः विचार करने बाबत् अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 05/03/2016 के द्वारा सूचित किया गया।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 187वीं बैठक दिनांक 10/03/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण के लिए श्री मयंक साहू, उपअभियंता उपस्थित थे। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि:—

प्रस्तुतीकरण के दौरान उपअभियंता द्वारा बताया गया कि अपरिहार्य कारणों जैसे— फार्म—1 अपूर्ण होना, बीजापुर नगर पालिका हेतु योजना बनाना, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना आदि की अपूर्णता बाबत् समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया जाना संभव नहीं है। अतः अनुरोध किया गया कि प्रस्तुतीकरण हेतु समय दिया जावे।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुये निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने पर प्रकरण पर विचार किया जावे।

परियोजना प्रस्तावक को तद्‌नुसार सूचित किया जावे।

ऐजेन्डा आईटम नं.—3: अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय

1. मेसर्स अविनाश बिल्डर्स (अविनाश आशियाना), ग्राम—कोटा (कबीर नगर), तहसील व जिला—रायपुर (2042)

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 21/04/2015 को खसरा नं. 4/2 (4/3, 6/1), 4/5 (4/11, 6/3), एवं 4/6 (4/7, 6/4) ग्राम—कोटा (कबीर नगर), तहसील व जिला—रायपुर में कन्सट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट कुल बिल्टअप एरिया 31784.89 वर्गमीटर हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिये प्रारूप—1 में आवेदन किया गया है। आवेदित क्षेत्र का कुल प्लॉट एरिया 16983.47 वर्गमीटर, है।

- **प्रस्ताव का विवरण** — यह एक रेसीडेन्सियल कॉम्प्लेक्स निर्माण का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में प्रस्तावित अपार्टमेंट का बिल्टअप एरिया 31413.29 वर्गमीटर एवं क्लब हाउस का बिल्टअप एरिया 371.60 वर्गमीटर होगा। प्रोजेक्ट का कुल बिल्टअप एरिया 31784.89 वर्गमीटर होगा। नगर तथा ग्राम निवेश रायपुर का विकास अनुज्ञा पत्र दिनांक 10/11/2014 के अनुसार भवन की उचांई जी + 6 अर्थात 18 मीटर होगी। भूतल पर पार्किंग व अन्य 06 तलों पर आवासीय उपयोग होगा। क्लब हाउस की उचांई 6.50 मीटर होगी।

- **प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेसीडेन्सियल काम्प्लेक्स निर्माण हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् फार्म 01, फार्म 01ए एवं लेआउट प्लान जमा किया गया हैं। इसके अतिरिक्त नगर पालिक निगम रायपुर का विकास अनुमति पत्र दिनांक 03/04/2014 एवं नगर तथा ग्राम निवेश रायपुर का विकास अनुज्ञा पत्र दिनांक 10/.10/2013 व 10/11/2014 जमा कराया गया है।

- निकटतम शहर रायपुर 5.0 कि.मी एवं रेलवे स्टेशन रायपुर 6.0 कि.मी. पर है। एयरपोर्ट 22.0 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। प्रोजेक्ट हेतु जल की आपूर्ति भू–जल से किया जाना प्रस्तावित है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 159वीं बैठक दिनांक 13/07/2015 में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत नगर तथा ग्राम निवेश, रायपुर से प्राप्त अनुज्ञा की वैधता समाप्त हो चुकी है। समिति द्वारा तत्समय यह निर्णय लिया गया कि नगर तथा ग्राम निवेश, रायपुर की वैध अनुज्ञा पत्र तथा प्रकरण के संबंध में समस्त जानकारियों यथा परिसर में सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ाने (यथा सोलर स्ट्रीट लाईट, कॉमन प्लेसेस, रेसीडेंसियल एरिया आदि में सोलर लाईट एवं सोलर वाटर हीटर) हेतु प्रस्तावित कार्यवाही, रेन वॉटर हॉर्वेस्टिंग, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, उपचारित दूषित जल का उपयोग, वृक्षारोपण आदि जानकारियों आदि सहित प्रस्तुतीकरण हेतु परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को, एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 2454 दिनांक 13/08/2015 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 164वीं बैठक दिनांक 27/08/2015 में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुपस्थित रहने बाबत सूचित किया गया है। समिति द्वारा तत्समय यह निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण बाबत अनुरोध प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जावे।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र कमांक 2454 दिनांक 13/08/2015 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 05/12/2015 को प्रस्तुतीकरण बाबत् अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 180वीं बैठक दिनांक 29/01/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक को समस्त सुसंगत जानकारियों / दस्तावेजों के साथ प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित करने की अनुशंसा की गई।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 01/02/2016 को प्रकरण पर पुनः विचार करने बाबत् अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 05/03/2016 के द्वारा सूचित किया गया। उक्त प्रकरण दिनांक 09/03/2016 को समयाभाव के कारण दिनांक 10/03/2016 को प्रस्तुतीकरण हेतु रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 186वीं बैठक दिनांक 10/03/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण के लिए श्रीमती प्रियंका सिंघानिया, डॉयरेक्टर, श्री जे. पी. केशवानी, आर्किटेक्चर एवं सलाहकार मेसर्स पायोनियर इन्वायरो लेवोरट्रीज एण्ड कन्सलटेन्ट प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद की ओर से श्री सुधीर सिंह उपस्थित थे। समिति

द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि आवेदन पत्र, प्रस्तुतीकरण दस्तावेज एवं पंजीकरण दस्तावेजों में खसरा क्रमांक भिन्न–भिन्न दर्शाये गये हैं। इसी प्रकार बिल्टअप एरिया भी अलग–अलग दस्तावेजों में अलग–अलग दर्शाया गया है। वृक्षारोपण हेतु दर्शाया गया क्षेत्र कुल क्षेत्र का 10 प्रतिशत से भी कम है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण में आवेदन की त्रुटियों में सुधार कर पुनः नवीन प्रस्ताव सहित ऑनलाईन आवेदन करने हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया जावे।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जावे।

2. मेसर्स अविनाश डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड (अविनाश प्राईड), ग्राम–हीरापुर तहसील व जिला–रायपुर (2043)

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 21/04/2015 को खसरा नं. 230/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 231/2,3,4 एवं 613/1, ग्राम–हीरापुर, तहसील व जिला–रायपुर (छ.ग.) में कन्सट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट कुल बिल्टअप एरिया 22586.85 वर्गमीटर हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिये प्रारूप–1 में आवेदन किया गया है। आवेदित क्षेत्र का कुल प्लॉट एरिया 13442.33 वर्गमीटर, है।

- **प्रस्ताव का विवरण** – यह एक रेसीडेन्सियल काम्प्लेक्स निर्माण का प्रोजेक्ट है। अनुमोदित विकास अनुज्ञा के ड्राईंग के अनुसार इस प्रोजेक्ट में जी + 6 के फलैटो का निर्माण किया जावेगा । जिसका फ्लैट, एरिया क्रमशः 0 वर्गमीटर, 3311.6 वर्गमीटर, 3311.6 वर्गमीटर, 3311.6 वर्गमीटर, 3311.6 वर्गमीटर, 3311.6 वर्गमीटर एवं 3311.6 वर्गमीटर होगा। कुल फ्लैट एरिया 19869.6 वर्गमीटर होगा। शॉप का कुल बिल्टअप एरिया 1710 वर्गमीटर तथा एलआईजी युनिक्स में 56 फ्लैट्स बनाए जाएगे जिसका कुल फ्लैट एरिया 2189.6 वर्गमीटर होगा।

- **प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेसीडेन्सियल काम्प्लेक्स निर्माण हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् फार्म 01, फार्म 01 ए एवं लेआउट प्लान जमा किया गया हैं। इसके अतिरिक्त नगर पालिक निगम रायपुर का विकास अनुमति पत्र दिनांक 21/09/2012, भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र दिनांक 04/08/2014 एवं नगर तथा ग्राम निवेष रायपुर का विकास अनुज्ञा पत्र दिनांक 11/06/2012 एवं संषोधित विकास अनुज्ञा पत्र दिनांक 17/02/2014 को जमा कराया गया है।

- निकटतम शहर रायपुर 7.0 कि.मी एवं रेलवे स्टेशन रायपुर 10.0 कि.मी. पर है। एयरपोर्ट 25.0 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। प्रोजेक्ट हेतु जल की आपूर्ति भू–जल से किया जाना प्रस्तावित है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 159वीं बैठक दिनांक 13/07/2015 में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में आवेदक के हस्ताक्षर नहीं है। साथ ही नगर तथा ग्राम निवेश, रायपुर से प्राप्त अनुज्ञा की वैधता समाप्त हो चुकी है। समिति द्वारा तत्समय यह निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को हस्ताक्षरित आवेदन / दस्तावेज, नगर तथा ग्राम निवेश, रायपुर की वैद्य अनुज्ञा तथा परिसर में सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ाने (यथा सोलर स्ट्रीट लाईट, कॉमन प्लेसेस, रेसीडेंसियल एरिया आदि में सोलर लाईट एवं सोलर वाटर हीटर)

हेतु प्रस्ताव, रेन वॉटर हॉर्वेस्टिंग, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, उपचारित दूषित जल का उपयोग, वृक्षारोपण आदि जानकारियों सहित आवेदन प्रस्तुत करने हुए सूचित किया जाये।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 159वीं बैठक दिनांक 13/07/2015 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक को पत्र क्रमांक 2440 दिनांक 11/08/2015 के द्वारा जानकारी बाबत् पत्र लिखा गया, किन्तु परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 05/12/2015 को वांछित जानकारियों सहित प्रस्तुतीकरण बाबत् अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 180वीं बैठक दिनांक 29/01/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक को समस्त सुसंगत जानकारियों / दस्तावेजों के साथ प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित करने की अनुशंसा की गई।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 01/02/2016 को प्रकरण पर पुनः विचार करने बाबत् अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 05/03/2016 के द्वारा सूचित किया गया। उक्त प्रकरण दिनांक 09/03/2016 को समयाभाव के कारण दिनांक 10/03/2016 को प्रस्तुतीकरण हेतु रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 186वीं बैठक दिनांक 10/03/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण के लिए श्रीमती प्रियंका सिंघानिया, डॉयरेक्टर, श्री जे. पी. केशवानी, आर्किटेक्चर एवं सलाहकार मेसर्स पायोनियर इन्वायरो लेबोरट्रीज एण्ड कन्सलटेन्ट प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद की ओर से श्री सुधीर सिंह उपस्थित थे। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि आवेदन पत्र, प्रस्तुतीकरण दस्तावेज एवं पंजीकरण दस्तावेजों में खसरा क्रमांक भिन्न-भिन्न दर्शाये गये हैं। इसी प्रकार बिल्टअप एरिया भी अलग-अलग दस्तावेजों में अलग-अलग दर्शाया गया है। वृक्षारोपण हेतु दर्शाया गया क्षेत्र कुल क्षेत्र का 10 प्रतिशत से भी कम है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण में आवेदन की त्रुटियों में सुधार कर पुनः नवीन प्रस्ताव सहित ऑनलाईन आवेदन करने हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया जावे।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जावे।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(धीरेन्द्र शर्मा)
अध्यक्ष,
राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति,
छत्तीसगढ़

(रेजीना टोप्पो)
सचिव,
राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति,
छत्तीसगढ़

सचिव, ग्राम पंचायत चिचगोहना
को पार्ट ऑफ खसरा नं. 636, कुल लीज क्षेत्र 5.125 हेक्टेयर, ग्राम–चिचगोहना, तहसील–मरवाही, जिला–बिलासपुर (छ.ग.) में सोन नदी एवं खुज्जी नदी से रेत उत्खनन क्षमता 50,000 घनमीटर /वर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति मे दी जाने वाली शर्ते

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से दो वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है। उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुर्नभरण संबंधी अध्ययन एवं तत्संबंधी आंकड़ों सहित गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट 1.5 वर्ष की अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा। इस अध्ययन रिपोर्ट में यह पुष्टि किया जाना आवश्यक होगा कि रेत उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र में उत्खनित मात्रा से अधिक प्रतिवर्ष रेत का पुर्नभरण वर्षाकाल में होता है तथा रेत उत्खनन गतिविधीयों से नदी एवं पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। उक्त गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात ही आगामी अवधि के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जावेगा।

2. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।

3. उत्खनन क्षेत्र 5.125 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 50,000 घनमीटर /वर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जावे।

4. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश दिनांक 24/12/2013 अनुसार रेत की खुदाई एवं भराई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जावेगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नही किया जायेगा, ताकि रेत उत्खनन के कारण नदी तल/नदी बेसिन की मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित न हो ।

5. रेत का उत्खनन केवल चिन्हीत, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र मे ही किया जावेगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई 01 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की उपरी स्तह, दोनो मे से जो कम हो, से अधिक नही होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नही किया जावेगा। न्यूनतम 02 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हार्ड रॉक) के उपर छोड़ा जाना आवश्यक है।

6. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 10 मीटर की दूरी छोडकर ही किया जावें, जिससे नदी तटों का क्षरण न हो एवं इस पर नियंत्रण रखा जा सकें साथ ही किसी भी पुलिया, स्टापडेम, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से न्यूनतम 100 मीटर दूरी का सुरक्षित क्षेत्र छोडा जाना अनिवार्य है।

7. यह सुनिश्चित किया जावे कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्विडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।

8. यह सुनिश्चित किया जावे कि उत्खनन क्षेत्र अथवा उसके आस–पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव – जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कछुओं के प्रजनन इकाईयों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नही किया जावे।

9. रेत उत्खनन दिन के समय ही किया जावे। रेत की खुदाई एवं भराई का कार्य रात्रि के समय नही किया जावे।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा विभिन्न प्रभागों यथा लोडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिडकाव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जावे। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नही होनी चाहिये।

11. रेत उत्खनन के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जावे। पहुँच मार्ग एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं पर जल छिडकाव की व्यवस्था किया जाकर इसका सतत संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जावे।

12. रेत का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढ़के हुये वाहन से किया जावे, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जावे।

13. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाये।

14. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2016 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 1025 पौधों का रोपण नदी तट पर किया जावे। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जावे। नदी तट पर स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जावे।**

15. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केन्द्र / राज्य शासन के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रेत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय–समय पर केन्द्र/राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जावे।

16. छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनॉक 2/3/2006 के प्रावधानों/शर्तो एवं तद्नुसार जारी दिशा

निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जावे।

17. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगायें जाते है तो ऐसे श्रमिकों के आवास उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जावेगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पुरी होने के पश्चात हटाया जा सके।

18. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वचछ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइलटायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जावें।

19. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

20. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए, छत्तीसगढ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नही किया जावे।

21. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

22. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोडने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

23. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 02 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 07 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियॉ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल मे अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट www.envfor.nic.in एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।

24. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, बिलासपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जावे।

25. क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मानिटरिंग की जावेगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जावे।

26. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जावे।

27. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

28. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जावे, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नही किया जावे।

29. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।

30. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिये गये प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि मे की जा सकेगी।

सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

संलग्नक–02

सरपंच, ग्राम पंचायत रवेली
को खसरा नं. 196, कुल लीज क्षेत्र 5.20 हेक्टेयर, ग्राम–रवेली, तहसील–बेरला, जिला–बेमेतरा (छ.ग.) में शिवनाथ नदी से रेत उत्खनन क्षमता 52,000 घनमीटर /वर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति मे दी जाने वाली शर्ते

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से दो वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है। उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुर्नभरण संबंधी अध्ययन एवं तत्संबंधी आंकड़ों सहित गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट 1.5 वर्ष की अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा। इस अध्ययन रिपोर्ट में यह पुष्टि किया जाना आवश्यक होगा कि रेत उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र में उत्खनित मात्रा से अधिक प्रतिवर्ष रेत का पुर्नभरण वर्षाकाल में होता है तथा रेत उत्खनन गतिविधीयों से नदी एवं पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। उक्त गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात ही आगामी अवधि के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जावेगा।

2. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।

3. उत्खनन क्षेत्र 5.20 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 52,000 घनमीटर /वर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जावे।

4. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश दिनांक 24/12/2013 अनुसार रेत की खुदाई एवं भराई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जावेगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नही किया जायेगा, ताकि रेत उत्खनन के कारण नदी तल/नदी बेसिन की मिट्‌टी की गुणवत्ता प्रभावित न हो ।

5. रेत का उत्खनन केवल चिन्हीत, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र मे ही किया जावेगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई 01 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की उपरी स्तह, दोनो मे से जो कम हो, से अधिक नही होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नही किया जावेगा। न्यूनतम 02 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हार्ड रॉक) के उपर छोड़ा जाना आवश्यक है।

6. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 10 मीटर की दूरी छोडकर ही किया जावें, जिससे नदी तटों का क्षरण न हो एवं इस पर नियंत्रण रखा जा सकें साथ ही किसी भी पुलिया, स्टापडेम, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से न्यूनतम 100 मीटर दूरी का सुरक्षित क्षेत्र छोडा जाना अनिवार्य है।

7. यह सुनिश्चित किया जावे कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्विडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।

8. यह सुनिश्चित किया जावे कि उत्खनन क्षेत्र अथवा उसके आस–पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव – जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कछुओं के प्रजनन इकाईयों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नही किया जावे।

9. रेत उत्खनन दिन के समय ही किया जावे। रेत की खुदाई एवं भराई का कार्य रात्रि के समय नही किया जावे।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा विभिन्न प्रभागों यथा लोडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिडकाव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जावे। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नही होनी चाहिये।

11. रेत उत्खनन के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जावे। पहुँच मार्ग एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं पर जल छिडकाव की व्यवस्था किया जाकर इसका सतत संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जावे।

12. रेत का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढ़के हुये वाहन से किया जावे, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जावे।

13. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाये।

14. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2016 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 1040 पौधों का रोपण नदी तट पर किया जावे। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जावे। नदी तट पर स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जावे।**

15. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केन्द्र / राज्य शासन के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रेत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय–समय पर केन्द्र/राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जावे।

16. छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनॉक 2/3/2006 के प्रावधानों/शर्तो एवं तद्नुसार जारी दिशा

निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जावे।

17. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगायें जाते है तो ऐसे श्रमिकों के आवास उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जावेगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पुरी होने के पश्चात हटाया जा सके।

18. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वचछ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइलटायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जावें।

19. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

20. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए, छत्तीसगढ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नही किया जावे।

21. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

22. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोडने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

23. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 02 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 07 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियॉ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल मे अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट www.envfor.nic.in एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।

24. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई–दुर्ग, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जावे।

25. क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मानिटरिंग की जावेगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जावे।

26. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जावे।

27. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

28. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जावे, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नही किया जावे।

29. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।

30. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिये गये प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

सरपंच, ग्राम पंचायत बनियागांव को पार्ट ऑफ खसरा नं. 257, कुल लीज क्षेत्र 9.0 हेक्टेयर, ग्राम–बेलगांव, तहसील–बकावण्ड, जिला–बस्तर (छ.ग.) में इन्द्रावती नदी से रेत उत्खनन क्षमता 90,000 घनमीटर /वर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति मे दी जाने वाली शर्ते

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से दो वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है। उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुर्नभरण संबंधी अध्ययन एवं तत्संबंधी आंकड़ों सहित गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट 1.5 वर्ष की अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा। इस अध्ययन रिपोर्ट में यह पुष्टि किया जाना आवश्यक होगा कि रेत उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र में उत्खनित मात्रा से अधिक प्रतिवर्ष रेत का पुर्नभरण वर्षाकाल में होता है तथा रेत उत्खनन गतिविधीयों से नदी एवं पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। उक्त गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात ही आगामी अवधि के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जावेगा।

2. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।

3. उत्खनन क्षेत्र 9.0 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 90,000 घनमीटर /वर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जावे।

4. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश दिनांक 24/12/2013 अनुसार रेत की खुदाई एवं भराई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जावेगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नही किया जायेगा, ताकि रेत उत्खनन के कारण नदी तल/नदी बेसिन की मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित न हो ।

5. रेत का उत्खनन केवल चिन्हीत, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र मे ही किया जावेगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई 1.0 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की उपरी स्तह, दोनो मे से जो कम हो, से अधिक नही होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नही किया जावेगा। न्यूनतम 02 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हार्ड रॉक) के उपर छोड़ा जाना आवश्यक है।

6. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 10 मीटर की दूरी छोडकर ही किया जावें, जिससे नदी तटों का क्षरण न हो एवं इस पर नियंत्रण रखा जा सकें साथ ही किसी भी पुलिया, स्टापडेम, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से न्यूनतम 100 मीटर दूरी का सुरक्षित क्षेत्र छोडा जाना अनिवार्य है।

7. यह सुनिश्चित किया जावे कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्विडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।

8. यह सुनिश्चित किया जावे कि उत्खनन क्षेत्र अथवा उसके आस–पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव – जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कछुओं के प्रजनन इकाईयों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नही किया जावे।

9. रेत उत्खनन दिन के समय ही किया जावे। रेत की खुदाई एवं भराई का कार्य रात्रि के समय नही किया जावे।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा विभिन्न प्रभागों यथा लोडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिडकाव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जावे। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नही होनी चाहिये।

11. रेत उत्खनन के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जावे। पहुॅच मार्ग एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं पर जल छिडकाव की व्यवस्था किया जाकर इसका सतत संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जावे।

12. रेत का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढ़के हुये वाहन से किया जावे, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जावे।

13. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाये।

14. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2016 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 1800 पौधों का रोपण नदी तट पर किया जावे। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जावे। नदी तट पर स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जावे।**

15. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केन्द्र / राज्य शासन के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रेत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय–समय पर केन्द्र/राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जावे।

16. छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनॉक 2/3/2006 के प्रावधानों/शर्तो एवं तद्नुसार जारी दिशा

निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जावे।

17. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगायें जाते है तो ऐसे श्रमिकों के आवास उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जावेगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पुरी होने के पश्चात हटाया जा सके।

18. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वचछ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइलटायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जावें।

19. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

20. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए, छत्तीसगढ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नही किया जावे।

21. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

22. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोडने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

23. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 02 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 07 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियॉ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल मे अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट www.envfor.nic.in एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।

24. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, जगदलपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जावे।

25. क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मानिटरिंग की जावेगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जावे।

26. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जावे।

27. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

28. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जावे, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नही किया जावे।

29. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय मे 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।

30. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिये गये प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.